ABOLITION OF BEGGING BILL, 1990

SHRI SURESH PACHOURI (Maharashtra); Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for abolition of begging and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: I introduce the Bill.

CURTAILMENT OF EXPENDITURE ON MARRIAGES BILL, 1990

SHRI SURESH PACHOURI (Maharashtra): I beg to move for leave to inrtoduce a Bill to provide for the curtailment of expenditure on marriages and for matters connected therewith.

The question was put *and the motion was adopted.*

SHRI SURESH PACHOURI; I in-troduce the Bill.

CEILING ON WAGES BILL, 1990

SHRI SURESH PACHOURI (Maharashtra): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for ceiling on the wages of a family and j'or matters connected therewith.

The question *was* put and *the motion was adopted.*

SHRl SURESH PACHOURI; I introduce the Bill.

INDIAN VETERINARY COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 1989

THE DEPUTY CHAIRMAN; Now, we take up the Indian Veterinary Council (Amendment) Bill, 198a Shri Vishwasrao Ramrao Patil.

SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL (Maharashtra): I move;

"That the Bill to amend the Indian Veterinary Council Act, 1984, be taken into consideration. "

The Indian livestock and poultry constitute a major share in providing self-employment to the educated unemployed and also a source of bread to the weaker sections of the society including the landless labourers.

With the available training facilities through Radio and Doordarshan, Government and private institutions, short-term courses; in poultry-keeping, a large number of educated persons are running the poultry farms and vaccinating their own poultry stock against the various diseases oi poultrp and using anti-cocidosis medicines and other patent drugs and vitaminised products for prevention of diseases and for the growth of the poultry stock.

The respective State Dairy Development Corporations are engaging the persons having been trained for vaccination work for a period of one to two weeks, to provide prophylactic measures against foot and mouth disease only. The Dairy Development Corporations are also engaging persons after: a shprt-term course for one or two months in artificial insemination technique in cooperative sector.

In Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh, Kerala and Union Territories a large number of non-graduate veterinary personnel have been engaged by these State Governments in providing full-fledged veterinary treatment to livestock and poultry. They are functioning independently in their day-to-day work as incharge of the veterinary dispensaries, key village units, artificial insemination, sub-centres, intensive cattle development project centres and likewise institutions in the rural areas where full-fledged course of treatment is

administered independently against the contagious, non-contagious diseases and preventive measures are taken against the contagious diseases of livestock and poultry. These non-graduate veterinary practioners are duly qualified according to the requirements of the State Governments.

Due to defective provisions in the Indian Veterinary Council Act and more particularly unethical, impracticable and professionally indecent conditions of professional supervision and direction of veterinary graduates imposed under section 30(b) of the Act, the work in this field is being disturbed. The poultry farmers and small dairy ownerg are subjected to inconvenience causing decreases in the livestock and poultry production for want of immediate curative and preventive measures.

The professional supervision and direction can be had when two functionaries are working together at one and the same place like doctor and nurse, doctor and pharmacist, doctor and technician. But in the present case the graduate and non-graduate practitioners are functioning at two different and distant places having a distance from 5 to 25 kilometres. Under these circumstances, this condition is not only humiliating to the non-graduate veterinary practitioners but also prove to be harmful to the growing livestock and poultry indus, try thereby damaging and demoralising the interest of various sections of the society.

Section 30A has categorically defined that "no person other than a registered Veterinary Practitioner shall hold office as Veterinary physician or surgeon of any like office by whatever name called in Government or to any. institution maintained by a local or other authority, "This has disqualified the existing non-graduate Veterinary practitioners in the absence of necessary provision under the Act ensuring their registration who are holding independent- charges of veterinary dispensaries technically, professionally and in all administrative ndrms for over a period of three decades. In this connection I quote Mr. A. S. Das, Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Department of Animal Husbandry "If we restrict the practice immediately by this legislation, what will happen to the cattle and their treatment? As a matter of fact the treatment is given mostly by the persons who are not veterinary degree holders. Our country does not have the required number of veterinary degree holders. We should not allow the restrictions; otherwise the solution will be far worse than the disease which we are trying to treat. There will be total vaccum. " This matter has already been brought on the record in the Lok Sabha by Dr. A. Kalanidhi, a reputed physician and surgeon and also Member of the Lok Sabha.

The state of affairs will have its serious implications from the legal point of view and that is why the Rajasthan Animal Husbandry Techni, cal staff Association has challenged this provision in the Rajasthan High Court, Jaipur Bench in a special civil application No. 291/86 knowing the seriousness of this issue and state of affairs. The Rajasthan High Court has in their interim order, ordered that "The members of the petitioner association who possses diploma/certificate in vetertoajry science may be permitted to practice independently without any condition till the disposal of this writ petition" on 25th August, 1986. While presenting the Indian Veterinary council Bill in 1981, in Rajya Sabha on 14th December 1981. Hon. Rao Birendra Singh, the then Hon. Minister for Agriculture, in the statement of objects and reasons, had mentioned that "the question of establishing the statutory Veterinary Council of India, the Sate Veterinary Council of India and the State Veterinary Councils for regulating veterinary practice on the analogy of the (Medical Council of India has been under consideration of the Government of India for some time past" (page 25 of I. V. C.

[Shri Viswasrao Ram Rao Patil] Bill XLIV of 1981). This means the Indian Medical Council Act and the provisions thereunder have been taken as a base for the I. V. C. Act but unfortunately the non-degree veterinary qualification granted by the State Governments and Agricultural Universities have deliberately been deleted when there is a separate schedule for such non-degree medical qualifications. But in the present case the non-degree veterinary practition-ers have been treated indifferently and indepently by the authorities concerned.

In this connection, I draw the attention of the Ministry of Agriculture to the reply to the Rajya Sabha question No. 2078 by Shri G. Swaminathan, an M. P Rajya Sabha, which mentioned that as "provisions in the Indian Veterinary Council Act 1984 have been made on the basis of provisions available in most of the State Veterinary Practitioners Acts and the Indian Medical Council Act, there is no proposal to amend the Indian Veterinary Council Act, 1984".

According to my information the provisions empowering the State Governments to permit the persons on acquiring the prescribed training in veterinary and animal husbandry science to be engaged in veterinary practice by holding official post available in the State Veterinary Practitioners Act has no place in the Indian Veterinary Council Act. This has resulted in curtailment of constitutional powers of t*he* State Govern, ment when the subject of veterinary education and veterinary practice falls entirely in the State List, according to the entry at serial number 15 of the second list of the Seventh Schedule appended to the Constitution of India.

In this connection, *I* draw the attention to the provisions of the following State Acts.

Section 19 of the Karnataka Veterinary Practitioners Act, 1963.

Section 23 of the Gujrat Veterinary Practitioners Act, 1969.

Section 17 sub-clause 2 of the Kerala Veterinary Practitioners Act, 1968.

Section 5 sub-clause 2 of Madras Veterinary Practitioners Act, 1957.

Section 23 of the Maharashtra Veterinary Practitioners Act, 1971. which have no place in the Indian Veterinary Council Act, 1984.

It is felt that the non-degree medical qualifications require to be included in the third schedule of the said Act, the non-degree veterinary qualifications granted by the State Governments under their constitutional po-wers have no place in the schedule of recognised veterinary qualifications appended to the Indian Veterinary Council Act, 1984.

And thus the statement of the Ministry in this regard is not correct. In order to cover the provision of the State Acts and to have schedule of the recognised veteriniary qualifications on the line of the Indian Medical Council Act, the Indian Veterinary Council Act requires to be amended.

I, therefore, urge the Government and the Hous that amendments as suggested by me, be accepted and this Bill passed.

The question was adopted.

डा0 रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, श्री विश्वास राव रामराव पाटिल जी, हमारे माननीय सदस्य ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 का संशोधन करने के लिए जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया है उस संदर्भ में मै अपनी बात व्यक्त करने के लिए आपके आदेश से खड़ा हुआ हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

श्री पाटिल ने अपने इस संशोधन के संदर्भ में जो उद्देश्य तथा कारण बताया है, उसमें स्पष्ट है कि भारतीय पशुधन

और मुर्गीपालन न केवल शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के प्रमुख स्रोत हैं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों, जिनमें भूमिहीन मजदूर भी शामिल हैं, के जीवन-निर्वाह के भी साधन हैं।

भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के त्रुटिपूर्ण उपबंधों, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 30 (ख) के अधीन थोपी गई पशु-चिकित्सा स्नातक के व्यावसायिक पर्यवेक्षण तथा निदेशन की अव्यवहार्य तथा व्यावसायिक रूप से अशिष्ट शर्त के कारण इस क्षेत्र में काम में विघ्न पड़ रहा है। मुर्गीपालकों तथा लघु डेयरी मालिकों को असुविधा हो रही है और सुधार तथा निवारण के तुरन्त उपायों के अभाव में पशुधन तथा कुक्कुट उत्पादन का ह्रास हो रहा है।

व्यावसायिक पर्यवेक्षण तथा निदेशन तब व्यवहार्य हो सकता है जबकि दो कृत्यकारी एक ही स्थान पर एक साथ काम कर रहे हों जैसे डाक्टर और नर्स, डाक्टर और फार्मासिस्ट, डाक्टर और तकनीशन। किन्तु वर्तमान में स्नातक और गैर-स्नातक व्यवसायी दो अलग-अलग तथा दूरस्थ स्थानों पर काम कर रहे हैं और यह दूरी 5 से 25 किलोमीटर हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में इस तरह की शर्त न केवल गैर-स्नातक पशु-चिकित्सा व्यवसायियों के लिए अपमानजनक है बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ते हुए पशुधन तथा कुक्कुट उद्योग के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो रही है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों नुकसान हो रहा है और उनका मनोबल गिर रहा है।

धारा 30(क) में स्पष्ट तौर पर यह उपबंध किया गया है कि रजिस्ट्रेशन पशु-चिकित्सा व्यवसायी से भिन्न कोई व्यक्ति सरकार में, या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था में पशु-कार्य चिकित्सक या शल्य-चिकित्सक के रूप में कोई पद या इसी प्रकार का अन्य कोई पद (उसका चाहे जो नाम हो) धारण नहीं करेगा।

इस उपबंध में उन वर्तमान गैर-स्नातक पशु-चिकित्सा व्यवसायियों को इस अधिनियम के अधीन उनके रजिस्ट्रीकरण को सुनिश्चित करने वाले आवश्यक उपबंध के अभाव में निरर्ह बना दिया है, जो 30 वर्षों से भी अधिक अवधि से तकनीकी, व्यावसायिक तथा प्रशासनिक तौर पर पशु चिकित्सा औषधालयों का स्वतंत्र प्रभार धारण किये हुए हैं।

यह महसूस किया गया है कि डिग्री-इतर चिकित्सा अर्हताओं को उक्त अधिनियम में एक नई अनुसूची, अर्थात तीसरी अनुसूची के अधीन शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

राज्य अधिनियमों के उपबंधों को शामिल करने तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम के समान मान्यता प्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हताओं की अनुसूचियां रखने के लिए भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम को संशोधित किया जाना अपेक्षित है।

इसलिए यह विधेयक उन्होंने प्रस्तुत किया है।

महोदया, जो पशु-पक्षी होते हैं, या जिनका एनिमल हजबैंड्री से संबंध होता है, वे मूक है। उनकी भाषा इनसान नहीं समझ सकता है। अगर उन्हें दर्द होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई कष्ट होता है, कोई इस तरह की उन पर बीतती है, जैसे हम इनसानों पर बीतती है, तो हम अपना रोग बता सकते हैं कि हमारे दिल मे दर्द है कि सिर में है, हमारे पैर मे खरोंच आ गया है या हाथ में जुंबिश आ गई है। हम सब कुछ विवरणात्मक ढंग से बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो पशु होता है, पक्षी होता है, वह निश्चित रूप से जो भाषा बोलता है, वह किसी व्यक्ति की समझ में नहीं आता, और इसलिए निरीहता से उसे जोड़ा जाता है। पशु-पक्षी निरीह प्राणी माने जाते हैं और इतने बड़े प्रेरणा के द्योतक होते हैं कि "मा निषाद प्रतिष्ठांड०, त्वमगम शाश्-

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

वतो समः" कोंच वध को देख करके विश्व के पहले कवि वाल्मीकि का स्वर संधान हुआ था और उन्होंने जो रचना की सारे विश्व में विख्यात है। क्रौंच पक्षी का वध हुआ और उससे जो करुण भाव उत्पन्न हुआ उस भावना से प्रेरित होकर विश्व के प्रथम महाकवि का,

"वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान,
निकल कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अंजान।"

कविता की सृष्टि धरती पर पशुओं के कारण हुई और भी तुलसी दास ने लिखा है कि "हित-अनहित पशु-पक्षी उजाला"। कुत्ते की लायल्टी से, उतना लॉयल जितना कुत्ता होता है अपने मालिक का उतना कोई नहीं होता है, पशुओं से तुलना की जाती है।

उपसभापति : अब आप किसी को कुत्ता नहीं कहिएगा और याद रखिएगा ... **(व्यवधान)**

डा0 रत्नाकर पाण्डेय : आपका आदेश तो ब्रह्म वाक्य की तरह बराबर हमारी मैमोरी में नाचता रहता है। तो वीरता भी पशुओं में होती है, हिंसक हों, अहिंसक हो, लेकिन सब से बड़ी चीज जो है वह अपना हित और अनहित जानते हैं। उनकी जबान नहीं होती हैं। वे अपने मालिक को अपने काम लेने वाले को जिस प्यार की निगाह से देखते हैं वे जो पशु पालते हैं, जो चिड़ियों को पालते हैं और जो जानवरों को पालते हैं, उनको इसका बोध होगा और वे परिवार के प्राणी बन जाते हैं। हमारा सारा साहित्य माननीय उप सभापति जी, चाहे पंचतंत्र की कथाएं हों, चाहे हमारा प्राचीन वर्णनात्मक साहित्य हो, वेदों से लेकर आज तक उसमें पक्षियों के माध्यम से सब कुछ अभिव्यक्त कराने का, श्रोता और वक्ता बन करके, सारा उपादान उनमें सृजित किया गया है। कबूतर के माध्यम से संदेश भिजवाने का काम इस देश में बराबर होता रहा है। राजा नल के पास दमयंती का पत्र ले करके कबूतर ही गया था। मेरे कहने का आशय यह है कि निरीह, मूक जिसकी भाषा हम नहीं समझ सकते जिसकी अभिव्यक्ति शक्ति की जो वर्ण-लिपि है उसका बोध हम इंसानों को नहीं है! उनकी चिकित्सा की व्यवस्था वास्तव में अगर हम मानते हैं कि प्राणियों में सदभावना हो जिसके भीतर आत्मा हो, वे सब प्राणियों के चाहे वह सर्प हो, चाहे शेर हो, चाहे हाथी हो, चाहे चींटी हो, चाहे इंसान हो और पशु-पक्षी के संबंध में जितना भी परोपकार की बात हो, लोग दाने छींटते हैं उनके सामने और पुण्य की कामना करते हैं। हमारे द्वारा छींटे गए चावल के कण को चुग करके चिड़ियां जो अन्न खायेंगी उससे हमको पुण्य मिलेगा, हमारी आध्यात्मिकता से यह सब जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां तक इन पशु-पक्षियों को कुशल-क्षेम का प्रश्न है, दूध तो हम ज्यादा से ज्यादा गाय, भैंस से प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन उन्हें जो खाद्यान्न हम देते हैं वह खाद्यान्न कोई इंसान का खाद्यान्न नहीं होता है, उसमें भी हम कोताही करते हैं और अधिक से अधिक प्राप्त करें इन पशुओं का शोषण करके, यह एक परंपरा सी चल रही है। हमारी सरकार ने जो इंडियन वैटर्नरी कौंसिल ऐक्ट, 1984 प्रस्तुत किया था उसमें मैं देख रहा हूं और श्री पाटिल जी जो कुछ प्रस्ताव इस सदन में लाए हैं उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कितने पशु चिकित्सालय हैं। और उन पशु चिकित्सालयों के माध्यम से हास्पिटल्स हैं, पॉली क्लीनिक्स हैं, और वेटरनरी एड सेंटर्स हैं।

3.00 P.M.

आंध्र प्रदेश में 279 हास्पिटल्स हैं, 1422 डिस्पेंसरीज हैं और 2565 वेटरनरी एड सेंटर्स हैं। आसाम में 25 हास्पिटल्स, 436 डिस्पेंसरीज और 1267 वेटरनरी एड सेंटर्स हैं अरुणाचल प्रदेश में एक भी पॉली किलनिक या हास्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरीज 81 हैं और 119 वेटरनरी एड सेंटर्स हैं। बिहार में 62 हास्पिटल्स हैं जबकि आंध्रप्रदेश जैसे कम जनसंख्या वाले स्थान पर 279

हास्पिटल्स और पॉली क्लिनिक्स हैं, डिस्पेंसरीज 1152 हैं और वेटरनरी एड सेंटर्स 2180 हैं। गुजरात में 25 हास्पिटल्स, 314 डिस्पेंसरीज और 557 वेटरनरी एड सेंटर्स हैं। गोवा में 2 हास्पिटल्स, 20 डिस्पेंसरीज और 1 वेटरनरी एड सेंटर हैं। हरियाणा में 495 हास्पिटल्स, 474 डिस्पेंसरीज और 777 वेटरनरी ऐड सेंटर्स हैं। हिमाचल प्रदेश में 232 हास्पिटल्स, 519 डिस्पेंसरीज हैं और वेटरनरी ऐड सेंटर एक भी नहीं है। जम्मू-काश्मीर में 16 हास्पिटल्स, 570 डिस्पेंसरीज और 40 वेटरनरी एड सेंटर्स हैं। कर्नाटक में 33 हास्पिटल्स, 570 डिस्पेंसरीज और 40 वेटरनरी एड सेंटर्स हैं। केरल में 117 हास्पिटल्स, 524 डिस्पेंसरीज और 92 वेटरनरी एड सेंटर्स हैं। मध्य प्रदेश में 708 हास्पिटल्स, 1943 डिस्पेंसरीज हैं और वेटरनरी एड सेंटर एक भी नहीं है। महाराष्ट्र में 84 हास्पिटल्स, 1050 डिस्पेंसरीज और 2557 वेटरनरी एड सेंटर्स हैं। मिजोरम में 2 हास्पिटल्स, 39 डिस्पेंसरीज और 88 वेटरनरी एड सेंटर्स हैं। मणिपुर में 61 हास्पिटल्स, 97 डिस्पेंसरीज और 27 वेटनरी एड सेंटर्स हैं। मेघालय में 1 अस्पताल, 53 डिस्पेंसरीज और 51 एड सेंटर्स हैं। नागालैंड में 4 हास्पिटल्स, 28 डिस्पसरीज और 62 ऐड सेंटर्स हैं। इस के अलावा उड़ीसा में 57 हास्पिटल्स, 457 डिस्पेंसरीज और 2816 एड सेंटर्स हैं। पंजाब में 81 हास्पिटल्स, 445 डिस्पेंसरीज और 553 वेटरनरी एड सेंटर्स हैं। राजस्थान में 911 हास्पिटल्स, 366 डिस्पेंसरीज हैं और एक भी वेटरनरी एड सेंटर नहीं है। सिक्कम में 12 हास्पिटल्स, 25 डिस्पेंसरीज और 35 एड सेंटर्स हैं। तमिलनाडु में 81 हास्पिटल्स, 735 डिस्पेंसरीज और 2226 एड सेंटर्स हैं। त्रिपुरा में 9 हास्पिटल्स, 39 डिस्पेंसरीज और 229 वेटरनरी सेंटर्स हैं। उत्तर प्रदेश में 1610 हास्पिटल्स, 234 डिस्पेंसरीज और 2637 एड सेंटर्स हैं। वेस्ट बंगाल में 110 हास्पिटल्स, 582 डिस्पेंसरीज और 659 वेटरनरी एड सेंटर्स हैं। हमारी यूनियन टेरेटरी अण्डमान निकोबार आइसलैंड में 7 हास्पिटल्स, 3 डिस्पेंसरीज और 33 वेटरनरी सेंटर्स हैं। चण्डीगढ़ में 4 हास्पिटल्स, 9 डिस्पेंसरीज और एक भी एड सेंटर नहीं है। दादर और नागर हवेली में एक अस्पताल एक डिस्पेंसरी और नौ एड सेंटर है। दिल्ली में 46 अस्पाताल, 74 डिस्पेंसरी और एक वेटरनरी एड-सेंटर हैं। लक्षद्वीप में एक भी अस्पताल नहीं है, 9 डिस्पेंसरी ह और 2 वेटरनरी एड-सेंटर हैं। पांडुचेरी में 2 अस्पाताल, 14 डिस्पेंसरी और 4 वेटरनरी एड-सेंटर हैं। इस तरह से टोटल 5,878 अस्पाताल 12,185 डिस्पेंसरी और 20,352 वेटरनरी एड-सेंटर हैं।

उप-सभापति महोदया, मैंने इतना इतना समय सदन का इस चीज को अंकित कराने में इस लिए लिया कि विवरण विस्तार से सदन के रिकार्ड में आ जाय। हम इन आंकड़ों के आधार पर देखते हैं कि जो काम करने का तरीका है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज है कि कहीं अस्पाताल ज्यादा हैं तो डिस्पेंसरी कम हैं और कहीं वेटरनरी एड-सेंटर नही है। तो इसमें सरकार को एकरूपता से काम करना चाहिए और जहां डिस्पेंसरी की जितनी आवश्यकता हो, उसके अनुरूप ही देनी चाहिए और जितने सेंटर देने हों, वे दिए जाने चाहिए। मेरा यह भी कहना है कि इस पर एक मोनीटरिंग सेंटर गवर्नमेंट की ओर से होना चाहिए। केवल यह कह कर यह स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है—ऐसी चीजों को टाला जाना नहीं चाहिए बल्कि एकरूपता के साथ सरकार को काम करना चाहिए।

महोदया, मैं मध्यप्रदेश की बात करना चाहूंगा। यह धरती हरीतिमा से भरी हुई है। आज प्रदूषण का जो बादल, जहरीला बादल, राक्षसी बादल सारे देश की धरती पर छाया हुआ है, उसमें पशु-पक्षियों को भी हम अलग नहीं कर सकते हैं। इन्वायरमेंट रिसोर्सेज मिनिस्टरी में हम देखें कि जो हमारे जंगल हों, वह बड़े हरे भरे जंगल हों। अगर इन जंगलों में पक्षियों की चहचहाहट न हो,

[डा० रत्नाकर पाण्डे]

सिंह की गर्जना न हो, खरगोश का कलरव न हो और हरिणों की कुचाल न हो तो यह जंगल जंगल नहीं है बल्कि यह कैदखाने से भी ज्यादा हरेभरे कैदखाने बन जाएंगे। इसलिए देखें कि जंगल की शोभा पक्षियों की किलोल होती है, उस किलोल से रहित, वाणीहीन जंगल न हों। शिकार पर अंकुश लगाया जाय। मध्य प्रदेश में आज कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में वन-प्राणियों का नाश हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय इस कान्हा उद्यान के जलने से यह स्थिति निर्मित हुई है। अब जब इस बिल पर चर्चा हो रही है तो ऐसी जो गंभीर समस्याएं हैं, उस ओर ध्यान देना जरूरी है। यहां मनमानी करने के लिए अफ़सर लोग, बहुत से नए-नए नव-धनाढ्य, बिगड़े हुए दिमाग के, दूसरे नंबर का काम करने वाले लोगों के घर के नौजवान पहुंच कर वन-प्राणियों की हत्या करते हैं, पक्षियों को अपने किलोल के लिए निशाना साधकर उनके प्राण हरते हैं, इन सब पर कोई न कोई कानून बनाया जाना चाहिए और इन पशु-पक्षियों की रक्षा होनी चाहिए।

श्री सुरेश पचौरी (महाराष्ट्र): कान्हा जल रहा है और सरकार सो रही है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं कि उस घटना से सारा सदन वाकिफ़ है, ट्रेज़री बेंच भी वाकिफ़ होगी, मिनिस्टर साहब भी वाकिफ़ होंगे। हमारी पर्यावरण मंत्री अपने जन्म-दिन पर पक्षियों को मुक्त करती हैं, वर्तमान पर्यावरण मंत्री, और उनकी सद्भावनाएं ग्रहण करती-करती वे मंत्री भी बन गई।

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): इसका उससे क्या संबंध है?

उपसभापति: पक्षी की बात है, कि अच्छा काम करती हैं। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सुरेश पचौरी: आप भावनाएं समझिए, भावनाएं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: आप समझिए तो।

उपसभापति महोदया, हमारे आदरणीय मेहता जी बैठे हुए हैं। इनकी एक क्वालिटी शायद सदन नहीं जानता है कि यह चींटियों को आटा खिलाते हैं और वह आटा खिलाने से इनको चींटियों का आशीर्वाद लगा कि आज अपने एक मित्र को मंत्री के रूप में पाकर के कितनी खुशी इस सदन को हो रही है, यह स्वयं मेहता जी के मुखार-बिंद से उसकी झलक आप माननीय उपसभापति जी देख सकती हैं।

उपसभापति: छोटी से छोटी चींटी का भी आशीर्वाद बड़ा होता है, सबका आशीर्वाद लेना चाहिए।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: जो चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं, वे चिकित्सा एक्ट, रूल्स और जो हमारे नियम हैं, उनके तहत नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है कि कहीं डाक्टर हो तो कम्पाउंडर न हों पशुओं की चिकित्सा के लिए। कहीं दवा हो लेकिन उसको पहचानने वाले और पशु-पक्षियों का सही उपचार करने वाले न हों। . . . . (**समय की घंटी**) . . . . इसलिए यह आवश्यक है कि जो उप विधान, नियम बनाए गए हैं उतने हैंड्स हम, चाहे डिस्पेंसरी हो, चाहे वेटिरिनरी एड सेंटर हों, हर जगह हम दें।

मुर्गी पालन आज एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका और इस उद्योग के माध्यम से दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताएं हम पूरी करते हैं। मुर्गी जो अण्डे देती है, उस अण्डे का आहार हम ग्रहण करते हैं और उसके विकास के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए कुक्कुट पालन व्यवसाय को और भी महत्वपूर्ण ढंग से अधिक से अधिक त्वरा शक्ति से सम्पन्न बनाने की आवश्यकता है। उसमें उनके स्वास्थ्य की कामना होनी चाहिए और वही नहीं, चाहे हम भैंस से काम लें, चाहे बैल से काम लें, चाहे गाय से काम लें, चाहे बकरी से काम लें, चाहे ऊंट या हाथी हो या और जो भी जीव हैं, आज जब कोई पशु घायल होता है, उसको कोई रोग होता है तो वह जिस तरह से तड़पता है और जो उसका दर्द होता है, कूं-कूं करके जो पीड़ा वह अपनी व्यक्त करता है,

उसे इंसान समझ नहीं सकता है लेकिन लेकिन वह अपना सब कुछ, यहां तक कि अपने दूध की अंतिम बूंद तक हम इंसानों के लिए दे देता है और अपने बछड़े को, अपने छोटे से शिशु को वह दूध नहीं पिलाता है बल्कि दूध पीने की परिकल्पना करके मां के, गाय के स्तन का पान करता है बछड़ा। यह पशुओं के शोषण की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। इस देश में शोषण, अत्याचार, अनाचार, दबाव, हिंसा यह सब हम मानते हैं कि न हों, लेकिन क्या इंसान के लिए या पशुओं के लिए भी एक ओर हम पशुओं से काम लेते हैं.... (**समय की घंटी**)... हार्स पावर से हम तुलना करते हैं, बैलों की जोड़ी आज भी, कितने ही हम वैज्ञानिक बन गए हों, उन बैलों को खींचकर ही हम खेती करते हैं, बाजार में अनाज लाते हैं, लेकिन जब उनके सुख का प्रश्न आता है तो हम उन्हें न उचित खाद्यान्न देते हैं, न उनके स्वास्थ्य की परवाह करते हैं... (**समय की घंटी**)... और प्रकृति के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार हम उन्हें चिकित्सा की सुविधा भी नहीं दे सकते।

इसलिए श्री विश्वासराव रामराव पाटिल जी जो संशोधन इस विधेयक में में लाए हैं, उसके अनुसार मैं चाहूंगा कि जो पिछलाहमारा सन 1984 का एक्ट है--इंडियन वेटिरिनरी काउंसिल एक्ट-- उसमें जो विभेद रह गया है, बहुत से विद्वान लगकर के इन चीजों को तैयार करते हैं, अपने-अपने विषय के विशषज्ञ लेकिन त्रुटि न हो तो इंसान पूर्ण नहीं हो सकता है और बड़े ही अच्छे काम से, विश्वास के साथ इस प्रस्ताव को सदन में लाया गया है। अगर हम दस्तकारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अगर हम डिग्री विहीन योग्यता के आधार पर लोगों को काम देना चाहते हैं तो गांव में बहुत से पशु चिकित्सक, चिड़ियों की चिकित्सा करने वाले, बिच्छू, और सर्प का मंत्र झाड़ने वाले, सब मिल जाएंगे। घरेलू ढंग से उनकी जो चिकित्सा होती है और आपकी ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से कुछ नहीं होता है और कोई असर नहीं होता है। यह वर्तमान चिकित्सा पद्धति अब आई है लेकिन हजारों वर्षों से इस कृषि प्रधान देश में जहां अन्न को ही ब्रह्म कहा गया है, वहां जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उस पद्धति को भी विकसित करने की जरूरत है और अगर उसकी उपेक्षा की जाएगी तो जैसे आयुर्वेद की उपेक्षा करने से हमारा ज्ञान विदेशों के लोग ले गए और उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयों पर विश्वास करके ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को नाकाम साबित किया है और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को महत्व दिया है तो फिर हम इस क्षेत्र में पीछे ही रह जाएंगे।

महोदया, हमारे पशु-पक्षियों, मुर्गियों आदि सबकी चिकित्सा के लिए जो प्राचीन पद्धतियां चली आ रही हैं चाहे वह हिन्दू चिकित्सा शास्त्र में हों, चाहे इस्लामिक चिकित्सा शास्त्र में हो, चाहे और किसी चिकित्सा शास्त्र में हों, उन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत है और उसके साथ ही सारे लोगों को काम मिलना चाहिए, वेटरनिरी के जानकारों को काम मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विश्वास रावजी पाटिल के इस संशोधन का समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि पशुओं, पक्षियों को भी प्रकृति ने पानी दिया, हवा दी....

उपसभापति : बस अब बंद करिए..

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैडम, मैं समाप्त कर रहा हूं.... मैं कह रहा था कि प्राणियों में विभेद नहीं होना चाहिए।

"इंसान की भाषा जानता हूं,
प्यार की भाषा अजानी,
किन्तु कह सकता नहीं उसको जुबानी।
आज सपनों की भुजा पर टेककर सिर,
हो गई है साधना की मौन वाणी।"

तो जिसकी वाणी मौन है और जिसकी भाषा को लोग नहीं समझते हैं, ऐसे जीवों के लिए जो उपबंध बने, नियम बने और उनमें जो संशोधन लाया गया है आर्थिक विकास के लिए, कुक्कुट विकास के लिए कि हमारे पशु ऐसे हों, हमारे पक्षी ऐसे हों जो सारे दुनियां में अपना नेतृत्व कर सकें। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है।

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

अपने पशु, पक्षियों को जो हमारी अर्थ-व्यवस्था में सहायक हो सकते हैं, उन सबकी चिकित्सा में विभेद की भावना को छोड़कर जो पाटिल जी संशोधन लाए हैं, उस संशोधन को मंत्री जी इम्पलीमेंट करिए और इसे वापस लेने के लिए सदन को मत कहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पाटिल जी द्वारा रखे गए संशोधन का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदया, श्री विश्वास राव रामराव पाटिल जी जो गैर सरकारी विधेयक लाए हैं मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस देश की संसद ने 1984 में एक विधेयक पारित किया था जिसका नाम था "भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम" और जहां तक मेरी जानकारी है उस अधिनियम के अन्तर्गत बहुत से नियम जो बनने थे वह भी अभी तक नहीं बन पाए हैं और इसके अलावा इस अधिनियम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यावहारिक नहीं हैं और इसमें जो प्रावधान किया गया है कि जो पशु चिकित्सक हों वह कम से कम स्नातक हों। इसके कारण बहुत से लोग जो इस काम में वर्षों से लगे हुए थे, वह बेरोजगार हो रहे हैं।

पाटिल जी ने धारा 30(ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया है और उनका जो संशोधन विधेयक है, उसके जो उद्देश्य और कारण हैं उसमें उन्होंने इस बात को बतलाया है कि इस अधिनियम के कारण और इसकी जो धारा (30ख) है उसकी व्यवस्था के कारण पशु चिकित्सा स्नातक के व्यावसायिक पर्यवेक्षण तथा निदेशन के अव्यवहार्य तथा व्यावसायिक रूप से अशिष्ट इस शर्त के कारण इस क्षेत्र में काफी विघ्न पड़ रहा है। मुर्गी पालकों तथा लघु डेरी मालिकों को सुविधा हो रही है और सुधार करने वालों के सतर्क न होने के कारण पशु धन तथा कुक्कुट उत्पादन का ह्रास हो रहा है। उन्होंने जो अपना संशोधन दिया है उसमें जो उपधारा-6 है उसमें उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि इनके संशोधन को स्वीकार किया जाये, उस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक व्यवसाय से ऐसा पशु चिकित्सक जो मान्यता प्राप्त अर्हता रखता हो या जो इस अधिनियम के अधीन अपना नाम रजिस्टर्ड कराने का अन्यथा हकदार हो और जिसका नाम तत्समय किसी रजिस्टर में सम्मिलित रूप से हो। वर्तमान जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार है उसने इस बात का भी वायदा कर रखा है कि वह संविधान में संशोधन करेंगे कि और जो काम का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में जोड़ेंगे। लेकिन श्री पाटिल जी ने जिस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि इस व्यवसाय में बहुत से चिकित्सक जो लगे हुये थे इस बद के कारण वह बेकार हो रहे हैं, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि कम से कम जो लोग वर्षों से इस व्यवसाय में लगे हुये हैं और यदि इस प्रकार का कोई प्राविधान हो गया है तो उस प्राविधान को खत्म करना चाहिये। हां, भविष्य में जो लोग इस पेशे में आये, इस प्रकार की चिकित्सा के कार्य में लगें, उन पर अगर यह व्यवस्था लागू हो तो इस पर मैं विशेष आपत्ति नहीं समझता हूं और अपने भाषण में भी पाटिल जी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया हैं और कई राज्यों के उन्होंने नाम लिये हैं-हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा मध्य प्रदेश, केरल और इसके साथ-साथ जितने भी केन्द्र शासित क्षेत्र हैं वहां पर जो गैरस्नातक लोग हैं वह पशु धन और मुर्गी पालन के उपचार में लगे हुये हैं। पाटिल जी के जो विचार हैं मैं उनसे भी सहमत हूं और उन्होंने जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम-1984 है इसमें जो संशोधन उन्होंने रखा है इससे मैं सहमत हूं और मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और डा० पाण्डेय ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित कराया है। पटिल जी का जो संशोधन हैं इसको इस सरकार को स्वीकार करना चाहिये। यह अधिनियम 1984 में पारित हुआ था और जिन उद्देश्यों के लिये यह अधिनियम पारित किया गया उसकी भी पूर्ति अभी नहीं हो पायी है और जैसा

कि मैने शुरु में हीं कहा कि अधिनियम में कई जगह प्राविधान हों, बहुत से नियम बनाये जायेंगे। मैंने इस ओर जानने की कोशिश की और बहुत से नियम अभी इस संबंध में बने नहीं हैं और इसका मतलब यह हुआ कि यह जो अधिनियम पारित हो गया था 1984 में लेकिन पूरे तौर से अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है और इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार को हठधर्मी नहीं अपनानी चाहिये और जो प्रस्तावित संशोधन है या सामयिक है और जो लोग बेरोजगार हो गये हैं, बेकारी की ओर बढ़ रहे हैं उनकी बेकारी और बेरोजगारी को समाप्त करने के काम में यह संशोधन अधिनियम में बड़ी सहायता करेगा और इन शब्दों के साथ मैं पाटिल जी के संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि वर्तमान सरकार इसको स्वीकार करने की ओर काम करेगी।

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय.....

उपसभापति : चौधरी हरि सिंह जी आप शुरू करें उससे पहले मैं हमारे जो नये पैनल के वाइस चेयरमैन मि० बेबी नियुक्त हुये हैं, मैं उनको कहूंगी कि वे यहां स्थान ग्रहण करें।

I am leaving the House of Elders at the hands of Mr. Baby. So, please do not bother him and do not harass him like you did yesterday to the new Vice-Chairman. Let him protect the House and also the animals. And I am a Zoologist and that is also my concern.

[The Vice-Chairman (Shri M. A. Baby), in the Chair]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): It is a pleasure to take over this responsibility from the mother of the House.

चौधरी हरि सिंह : मान्यवर जी, मैं अपने बिल पर संशोधन के भाषण करने से पहले मैं आपको इस आसन पर बैठा हुये देख करके अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि मुझसे आपकी अध्यक्षता मे बोलने का मौका मिला और मैं इस लिये आपको बधाई और कांग्रेचुलेशन देता हूं। मान्यवर, हमारे विश्वास राव रामराव पाटिल ने भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 का संशोधन पेश किया है और उस पर कुछ चर्चा हुई है। अपने दो साथी जो जानवर, पशु और पक्षी के संबंध में बड़े अनुभवी हैं, उनसे उनका बहुत प्रेम है उनके अनुपम विचार भी सुनने को मिले और समर्थन भी सुना। जो संशोधन माननीय पाटिल जी ने पेश किया उसका जो मर्म है, उसके पीछे जो भावना है वह यह कि बेजुबान जानवर, पशु, पक्षी जो हिन्दुस्तान में ही नहींबल्कि संसार में भी जब आदम पैदा हुआ उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति का बड़ा हिस्सा हैं। उन बेजुबानों की तकलीफ, कष्ट और बीमारियों को दूर करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उन सबको लेकर हमारे पाटिल जी ने यह संशोधन पेश किया है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जो भी इंसान आदमी, मानव जाति का इलाज करते है हिन्दुस्तान के अंदर उसका जो भाग है वह 1,332 पर एक डाक्टर है। जानवर, पशु और पक्षी जो रोज बीमार रहते है जो अपना ना मर्ज कह नहीं सकते, जिन्हें मौसम की चिंता नहीं है, उनकी जुबान को समझने के लिए और उनका उपचार करने के लिए यह बिल पेश किया गया है। इसी भावना से यह रखा गया है। उन्होंने इस बात को समझा कि जब इंसानों के लिए डाक्टर नहीं हैं, दो हजार से कम आदमियों के ऊपर एक डाक्टर है तो अंदाजा लगाइये कि पशुओं के लिए डाक्टरों का क्या प्रोपोर्शन होगा। मैं इन आंकड़ों को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी भी गया और जो केन्द्रीय सरकार का लिटरेचर है एनिमल हस्बेंडरी के ऊपर उसको भी देखा मुझे कहीं इस प्रकार की जानकारी नहीं मिली।

[चौधरी हरि सिंह]

आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर और भारतीय इकोनोमी में इनका बड़ा सहयोग है। देहातों में जो छोटे किसान हैं, मध्यम श्रेणी के किसान हैं, हरिजन आदिवासी हैं, बेरोजगार हैं जिनके पास छोटी भूमि है वे इनसे दूध निकाल कर, मुर्गी पालन करके, मछली पालन करके अपना जीवनयापन करते हैं। ये पशु हमारी पूजा से ही नहीं—गाय की पूजा हमारे यहां की जाती है—पूजा या उपासना से ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति से भी जुड़े हुए हैं। उनका आप अलग नहीं कर सकते। देहात की जिन्दगी उस पर निर्भर है। अगर उसको अलग करते हैं तो भारतीय इकोनोमी गिर जायगी, ढह जायेगी। मेरे पास एक आंकड़ा है जिसके अनुसार हिन्दुस्तान का जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, उसका जो प्रोडेक्ट है उसका 24 परसेंट रुपया पशुओं के दूध आदि से आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आउट-पुट है कंट्री में उसका 24 परसेंट पशुओं से आता है। जब से देश आजाद हुआ उसके बाद हमारे राजीव गांधी जी ने, इन्दिरा गांधी ने और नेहरु जी ने कई योजनाएं इस के लिए चलायीं। वह समझते थे कि पशुओं की संख्या बढ़ाया जायेगी, अच्छा दूध देने वाले जानवरों की संख्या बढ़ाई जायेगी तो इससे हमारे देहात के आदमियों की, गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसलिए हमारी पिछली सरकार ने अनेक योजनाएं बना कर पशुओं की संख्या बढ़ायी। मुझे खुशी हैं 1947 से पहले पशुओं की संख्या बहुत थोड़ी थी आज हमारे यहां 208 मिलियन पाल्टरी फार्म हैं। वह क्यों हुआ क्योंकि हमारी योजनाएं ऐसी चल रही हैं। इसके साथ-साथ हमारे हिन्दुस्तान के अंदर 193 मिलियन कैटल हैं...। गांवों में गायें हैं, भैंसें हैं। देहातों में पशुओं की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने नई नई प्रोजेक्ट लगाई। उससे हमारे पशु धन की बढ़ोतरी हुई है। आर्टिफिसियल इंसेमिनेशन से पशुओं की नस्ल में सुधार भी हुआ हैं। लेकिन इस दिशा में और भी काम करने की जरुरत है। पाटिल जी इस बिल को तो लाये हैं, लेकिन हमारे देश में वेटरनरी डाक्टरों की बहुत कमी है। सन 1947 के बाद इसमें काफी सुधार तो हुआ है, लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है इसमें बहुत प्रयास करने की जरुरत है। हमारे देश में डिप्लोमा होल्डर हैं जो पिछले 30-30 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 30 साल की तो एक पूरी जिन्दगी होती है। अगर आप उनको काम नहीं करने देंगे तो फिर काम आगे कैसे बढ़ सकता है। उनको पशुओं का इलाज करने की पूरी इजाजत होनी चाहिए। आखिर जिन्दगी में तजुर्बा भी कोई चीज होती है। अभी हालत यह है कि अगर कोई डाक्टर उत्तर प्रदेश में रजिस्टर है तो उनको अगर महाराष्ट्र में पशुओं का इलाज करना हो तो फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वह ठीक नहीं है। अगर कोई डाक्टर एक स्टेट में रजिस्टर है तो उसको पूरे देश में प्रेक्टिस करने की इजाजत होनी चाहिए। हर जिले के लिए नया रजिस्ट्रेशन करना पड़े, यह उचित नियम नहीं है। मैं चाहता हूं कि पाटिल जी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छा बिल बनाकर लायें जिससे पशुओं की चिकित्सा में सुविधा हो। यह कोई तरीका नहीं है कि हर स्टेट में जानवरों के डाक्टर अपना फार्म भरें, दफ्तरों में अपनी हाजिरी दें। इससे आप पशुओं के साथ न्याय नहीं करेंगे।

यह बताया गया है कि जानवरों की दवा के लिए नये कारखाने भी लगे हैं। लेकिन यह बिल बड़ी मुश्किल से मुझे मिला हैं। इसको देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। दवाओं के प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। जिस एरिया से मैं आता है वहां से सबसे ज्यादा दूध दिल्ली के लिये आता है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जानवर हैं। दिल्ली के लिए 50 फीसदी दूध मेरठ, बुलन्दशहर, मथुरा और अलीगढ़ आदि तीन चार जिलों से आता है। मैं जानता हूं, यहां पर पशु कितने महंगे हो गये हैं। उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन उनके प्रापर इलाज का यहां पर कोई प्रबन्ध नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि पशु बेचारे मर जाते हैं। रेन्डर पेस्ट एक बीमारी हैं जिससे 50 फीसदी जानवर मर जाते हैं। इसी तरह

की दूसरी भी बीमारियां है, जैसे ब्लैक-क्वार्टर है, इससे 80 फीसदी जानवर मर जाते हैं । इनके इलाज का कोई प्रबन्ध नहीं होता है । और भी तीन चार अन्य बीमारियां हैं जिनसे जानवरों को नुकसान होता है । तमिलनाडु में पशुओं का मारटेलिटी रेट सबसे ज्यादा है । इसी प्रकार से आसाम और वेस्ट बंगाल में भी पशु मर जाते हैं । इसका कारण यह है कि वहां इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है । कोई डाक्टर नहीं है, कोई कम्पाउन्डर नहीं है । इससे हमारे पशुधन की बड़ी हानि हो रही है । जो इलाज करने वाले लोग हैं उनको अगर इलाज करने से डिप्राइव कर दिया जाय तो हमारी इकानोमिक स्थिति में कैसे सुधार हो सकता है । अगर हमारे पास 20 हजार ग्रेजुएट हों, पशुओं के सर्जन हों, कम्पाउन्डर हों तो पशुओं को बीमारियों से बचाया जा सकता है । अभी उनकी बहुत शार्टेज है । पशु देहातों में होते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी डाक्टर देहातों में जाना नहीं चाहता । चाहे वह पशुओं का डाक्टर हो या इंसानों का डाक्टर हो । ऐसी स्थिति में जब कि आपके पास डाक्टर नहीं हैं और जो काम कर रहे हैं उनको भी काम न करने दें तो क्या यह इस बात की साजिश नहीं है कि जो देहातों के पशु हैं वे मुख्तलिफ बीमारियों से मर जायें । हमारी सरकार और मौजूदा सरकार की भी यह पालिसी है कि पशुओं का इलाज किसान के द्वारे पर होना चाहिये । उनका इलाज किसान के घर पर, जहां पशु बंधे रहते हैं, वहां पर होना चाहिये । लेकिन इसके लिये डाक्टरों की कमी है, कम्पाउंडरों की कमी है । इसके लिये बड़े पैमाने पर वैटर्नरी स्कूल और कालेज खोले जाने चाहिये । मान्यवर, मैं आपके समक्ष बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि यदि हमें हिन्दुस्तान की गरीबी को दूर करना है तो हमें इस तरफ ध्यान देना होगा । जो उद्योग हैं, कल-कारखाने हैं, वहां साइंस और टेक्नालाजी के जरिये इन कारखानों में उत्पादन बढ़ाकर हमें अपने देश की एकानामी को साल्व करना है । लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है । इसलिये हमारे लिये यह जरूरी है कि हमारे जो पशु हैं उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो । इसके लिये हमें वेटेरटरी अस्पताल, कालेज और लबोरेटरी बड़े पैमाने पर खोलनी चाहिये । इससे आज जो जमीन पर भार बढ़ता चला जा रहा है वह कम हो जायेगा। आज आप मरुली के तालाबों में जाकर देखें । वहां पर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं । जो मछली पैदा करते हैं वे बेचारे इसके कारण रोते रह जाते हैं ।

महोदय, माननीय सदस्य पाटिल जी ने जो यह बिल रखा है यह सामयिक और चौकाने वाला है । इसमें तीन शैडयूल हैं। इसके तीसरे शैडयूल को बिल में शामिल कर लेना चाहिये और सेंकड को भी शामिल किया जाना चाहिये । इससे पशुओं की चिकित्सा के लिये कई सुविधायें और आसानियां हो जायेंगी । जो आज हम लोग तरसते हैं इससे वह सारा ठीक हो जायेगा । महोदय, आज बहुत सारे गरीब आदमी बैंको से लोन लेते है, इंश्योरेंस उनका हुआ रहता है । वे बैंकों से लोन लेते हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़े । लेकिन उनके पशु उचित इलाज के अभाव में मर जाते हैं । लोन लेते हैं आमदनी बढ़ाने के लिये लेकिन पशु मर गया तो उसकी आमदनी कम हो गई और साथ ही बैंक का सूद भी देना पड़ता है । इसलिये पशुओं के इलाज की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । इसके लिये हमारे जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको देहात के कालेज हों या शहरों के कालेज हों उनके करीकुलम में जानवरों के मर्ज को जानने के लिये जो बुनियादी चीजें आवश्यक हैं, वह शामिल होनी चाहिये ।

महोदय, आज आप देखते होंगे कि सड़कों पर भैंसा गाड़ियों को दौड़ाते हैं और तेज दौड़ाने के लिये उनको मारते रहते हैं । भैंसा कभी घोड़ा नहीं बन सकता, बैल कभी भी अरबी घोड़े की तरह नहीं दौड़ सकता । हम देखते हैं कि आज सड़कों पर फास्ट लाइफ हो गई है । वे देखते हैं कि ट्रैक्टर दौड़ता है, वे देखते है कि किसान की मोटर साइकिल दौड़

चौधरी हरि सिंह

रही है, कार भाग रही है, ट्रक है, तो उनको देखकर ये लोग भैंसे को मारते हैं ! इसके लिये भी कानून होना चाहिये । और सड़कों पर जो तेज दौड़ने वाले जानवर नहीं हैं, जिनकी यह हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, अगर कोई उनको दौड़ायेगा तो उनके खिलाफ कानूनन कार्यवाही की जायेगी । इसके लिये सरकार को मजबूत कानून बनाने चाहिये । सारे देश के अंदर और खासतौर पर मेरठ मंडल में यह बड़ पैमाने पर हो रहा है । हमारे लिये इन पशुओ की रक्षा करना अति आवश्यक है क्योंकि जहां 1947 से पहले जो मरीज हो जाते थे उनको दूध नहीं मिलता था लेकिन अब 51 मिलियन टन से ज्यादा दूध पैदा हो रहा है । इसलिये यह आवश्यक है कि हमारा जो पशुओं का रख-रखाव है उसकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और उनकी जो बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों से उनकी रक्षा होनी चाहिये । नई-नई बीमारियां जैसे ब्लैक क्वार्टर है, इससे 15 मिलियन जानवरों की मृत्यु हो जाती है । रेंडर पेस्ट है । लेकिन इस डिजीज का इलाज ढूंढने के लिये हिन्दुस्तान में कोई परवाह नहीं की जा रही है । इसके लिये कोई रिसर्च खासतौर से नहीं हो रही है और इसकी चिकित्सा का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है । जैसे मोनिया है, जैसे हेमरहाजिक है, सेपटीथेकामा है, अन्थ्रेक्स है, ये सब ऐसी डिसीज हैं जो पशुओं के लिये बहुत घातक है । इन बीमारियों के लिये बड़े पैमाने पर टीके लगाने का इंतजाम होना चाहिये । तब जा कर हमारे देश का जो पशु धन है वह सुरक्षित हो सकता है । आज मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे देश में पशुओं की तादाद बड़ी है, मुर्गियों और अंडों की तदाद बड़ी है । हमारे जो पशु है चाहे घोड़ा हो, भेड़ हो, मुर्गी हो, मछली हो, यह सब हिन्दुस्तान के गरीब लोगों की आमदनी का साधन बन गये हैं । सरकार की यह भी नीति है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे इसलिए पशु चिकित्सा का माकूल इन्तजाम किया जाना बहुत जरुरी है । देश में बड़े पैमाने पर वेटरनरी कालेज और अस्पताल खोले जाएं । पाटिल जी ने जो संशोधन रखा है, वह बहुत आवश्यक है, इसको इंक्लूड करना चाहिये । दो-दो, तीन-तीन मंत्रिगण बैठे हुए हैं, वे इस बात को समझ रहे होंगे और इस पर अमल कराने की कोशिश करेंगे । मेरा उनसे निवेदन है कि इस कानून को पढ़ कर दोबारा कानून बनाना चाहिये । यूरोप और अमरीका में लोग बेसिक नोलेज से इलाज कर लेते हैं । यूरोप के बहुत से देशों में परिवार के लोगों को तालीम होती है । जब कोई पशु बीमार हो जाता है तो वह एकदम डाक्टर के पास दौड़े नहीं चले जाते हैं । उनकी स्टडी होती है, उनको बेसिक जानकारी होती है, दवाओं के नाम भी उनको मालूम होते हैं, लिटरेचर भी होता है, वह आवश्यकता के अनुसार दवा खरीद लेते हैं और पशुओं का इलाज शुरु कर देते हैं । जिस तरह से हमारे कालेजेज के अन्दर जनरल नोलेज का पेपर होता है उसी तरह से मेरा सुझाव है कि इंटर-मीडियेट स्तर पर और कालेज स्तर पर जानवरों के रख-रखाव और बीमारियों के विषय में भी एक पेपर होना बहुत आवश्यक है । इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि पाटिल जी एक अच्छा संशोधन लाए हैं, यह संशोधन बहुत आवश्यक है, इसको सरकार को मान लेना चाहिये । जैसे मैंने पहले कहा हैं इस कानून में आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरुरत है । अगर हिन्दुस्तान की इकोनोमी को मजबूत करना है तो न केवल उद्योग, बिजली, कल-कारखाने, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए बल्कि पशुओं को भी स्वस्थ रखना होगा, उनके इलाज और बीमारी की अधिक से अधिक परवाह करनी होगी । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh); Respected Vice-Chairman, Sir, at the outset, let me congratulate you for becoming Vice-Chairman.

Sir, poultry, dairy and animal husbandry have got a lot of importance in our country. They are providing huge employment to lakhs of educated and uneducated youth and others. They are providing livelihood to lakhs and crores of families. They are improving the economic status of so many families. They are also meeting the food problem of our country. But still a lot of effort should be made to improve Indian poultry, dairy and animal husbandry. Because of lack of awareness, shortage of trained persons and veterinary doctors, our animal husbandry is not improving. Animal husbandry is mainly rural related. But most of the veterinary doctors are Urban oriented. In rural areas still most of the people are depending upon rural country doctors or quacks. There is no availability of veterinary doctor in rural areas still. Even though they are posted to rural areas, they are not going there and they are remaining in urban areas. So, the people are suffering in this field.

So, Sir, some of the States have introduced short-dulration courses, and they allow the diploma holders to practise in this field. But according to the 1984 Veterinary Act, these diploma holders and these non-graduates are not allowed to practise in this field. So, the problems are arising. So, in view of the shortage of veterinary doctors, in view of the need to improve our poultry, our dairy and animal husbandry, there is every need to amend the 1984 Veterinary Act so that the non-graduates and the diploma-holders could practise in this field. So, I support the Indian Veterinary Council (Amendment) Bill, 1989 moved by Shri Vishwasrao Ramrao Patil.

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितीश कुमार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री विश्वासराव रामराव पाटिल जी ने जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 का संशोधन करते हुए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1989 सदन में प्रस्तुत किया है, मैं सरकार की तरफ से उसका विरोध करता हूं। इसलिए विरोध करता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 पारित हुआ था तो उसके पारित होने के पहले पार्लियामेंट की एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष माननीय पी. एन. सुकुल जी थे जो राज्य सभा के सदस्य थे। इसमें 15 राज्य सभा के सदस्य थे और 30 लोकसभा के सदस्य थे। इस कमेटी ने इस अधिनियम को जब स्वीकृत कर सदन के समक्ष रखा—राज्य सभा मे पहले रखा गया था तो उसके पहले बड़े पैमाने पर लोगों से इसके संबंध मे इविडेंस लिया था जिसमे विभिन्न राज्यों के पशु चिकित्सा विभागों के सचिव थे, ऐनीमल हसबैंड्री के डाइरेक्टर्स थे, विभिन्न वेटरनरी कालेजज के जो डीन हुआ करते हैं वे थे या जिस प्रकार के लोगों की वकालत इस संशोधन अधिनियम मे की जा रही थी उस तबके के लोग भी थे और जो ग्रेजुएट वेटरनरी प्रैक्टिशनर्स थे वैसे भी लोग थे। तो तमाम तरह के लोगों से विचार विमर्श किया गया था और उनके विचार लिये गये थे, उनकी राय ली गयी थी और उसके बाद जो अधिनियम आया था, जो बिल आया था—पहले राज्य सभा में फिर लोक सभा मे—वह पारित हुआ था। तब से इस बिल पर पुनर्विचार हो रहा था। अभी इस संशोधन विधेयक मे विभिन्न क्लाजेज में जो अमेंडमेंट लाये गये हैं, उस समय भी कतिपय सदस्यों ने इसी प्रकार के अमेंडमेंट दिये थे जिन पर पूर्ण रूप से विचार हुआ था और विचार होने के बाद उन्हें खारिज कर दिया गया था, अस्वीकृत कर दिया गया था और अंततोगत्वा यह अधिनियम स्वीकृत हुआ था, बिल स्वीकृत हुआ था।

अभी एक माननीय सदस्य ने चर्चा करते हुए यह कहा कि जो इंडियन वेटरनरी काउंसिल ऐक्ट, 1984 है उसमें वेटरनरी काउंसिल आफ इंडिया को अभी कांस्टीटयूट नहीं किया गया है। यह बात गलत है। इस काउंसिल को कांस्टी-

[श्री नितीश कुमार]

टयूट किया जा चुका है और इसके रूल्स भी 1985 में फ्रेम किये जा चुके हैं, उनका गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है, यानी पूर्ण रूप से यह काउंसिल काम कर रही है।

कई सवाल उठाये गये। मुख्य रूप से माननीय सदस्य जो संशोधन विधेयक लाये हैं उससे पशु धन की रक्षा या वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए चिंता जाहिर की गयी है। अभी जो माननीय सदस्य वहां बैठे हैं रत्नाकर पाण्डेय जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने विस्तार के साथ वन्य प्राणियों के संबंध में जिक्र किया और यह अपील की कि उनकी रक्षा की जानी चाहिए और इस बिल का एक मकसद यह भी है कि इनकी रक्षा की जाये। सरकार भी इसको मुनासिब समझती है और कोई भी सरकार इसको महसूस करेगी कि वन्य प्राणियों की रक्षा होनी चाहिए और यही कारण है कि वन्य प्राणियों की रक्षा ठीक ढंग से हो सके, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी हो और चिकित्सक भी अच्छे हों इसके लिए कई प्रकार के इसमें क्लाजेज बनाये गये हैं ताकि ग्रेजुएट वेटरनरी प्रेक्टिशनर्स इस काम को कर सकें। एक मकसद इस संशोधन विधेयक का यह भी हो सकता है कि जो लोग देहात मे इस तरह की प्रेक्टिस करते रहे होंगे और कई इस प्रकार के जो लोग होते हैं जैसे स्टाकमैन होता है, स्टॉक असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट होता है और दूसरी के जो होते हैं जैसे कंपाउंडर्स होते हैं . . . जो कंपाऊंडर्ज होते हैं, उनको भी वैटर्नरी प्रैक्टीशनर्ज का दर्जा प्रदान किया जाए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, एक गुजारिश है कि बाहर टी.वी. पर श्री राम विलास पासवान को दिखाया जा रहा है जबकि मंत्री नितीश कुमार जी बोल रहे हैं। यह बड़ी परेशानी की बात है। बाहर के लोग अनभिज्ञ हैं। मै तो राम विलास पासवान जी को देखने आया था, पर यहां तो आप दिखाई पड़ रहे हैं।

तो यह जरा संशोधन करवाइये कि यहां जो टी.वी. पर दिखाया जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं कि कौन मिनिस्टर बोल रहा है। यहां का स्टाफ मिनिस्टर से परिचित ही नही हैं। उनको थोड़ा परिचित करवाने की जरूरत है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The Minister is being introduced through the replay on T. V,

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry); The Minister was introduced even on Monday.

SHRI S. S. AHLUWALIA; The parliamentary staff do not know the name of the Minister. That is the problem.

THE; VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY); They will correct it.

SHRI S. S. AHLUWALIA; If the parliamentary staff do not know who is the Minister, then, how can Members of Parliament and the people of the country expect to know.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA); Mr. Ahluwalia, everybody knows you.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mehta-ji, we know you. The parliament staff also knows you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY). It has been intimated that the mistake is being rectified and we are thankful to the hon. Member for pointing out the mistake. Now, you may kindly permit the Minister to continue his speech.

श्री नितीश कुमार उपसभाध्यक्ष महोदय, इसका एक मकसद यह हो सकता है कि जो वैटर्नरी के संबंध में काम करने वाले स्टॉक असिसटेंट होंगे, स्टाकमैन होंगे, कंपाउडर्ज होंगे, उनको भी यह दर्जा प्रधान कर दिया जाए वेटर्नरी प्रैक्टीशनर्ज का। तो यहां यह बताना मुनासिब होगा, उपसभाध्यक्ष जी, कि सरकार ने पहले ही इन लोगों को

माइनर सर्विसेज की इजाजत दे दी है कि वह काम कर सकते ह, वेक्सीनेशन कर सकते है, वधिया का जो काम होता है, वह सब कर सकते हैं और मरहम-पटट्टी का काम भी वह कर सकते है। माइनर वैटर्नरी सर्विसेज की इजाजत उनको दी गई है। पर कोई बड़ा आपरेशन वह बिना ग्रेज्युएट डाक्टर की सुपरविजन के नहीं कर सकते हैं, और ज्यादातर ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ सकती है।

पर इन लोगों को बिलकुल जो ग्रेज्युएट प्रैक्टीश्नर्ज हैं, उनका दर्जा दिया नहीं जा सकता है और न हीं इनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। जो इस बिल का उद्देश्य है, उसमें माननीय सदस्य ने बताया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुरूप ही इसको बनाया गया है। तो यहां यह कहना मुनासिब होगा कि भारतीय परिषद अधिनियम ही इस अधिनियम का आदर्श रूप है और भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिनियम में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि कंपाउडर, जो डाक्टर क अधीनस्थ काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे टैक्नीशन होते हैं, उनको मैडिकल प्रैक्टिस करने की छूट दी है। ऐसा कहीं नहीं होता है।

तो उसी के आधार पर वैटर्नरी क्षेत्र मे जो लोग लगे हुए हैं, उनको भी उस प्रकार का दर्जा प्रधान नहीं किया जा सकता है और जिन वण्य प्राणियों की रक्षा की बात कर रहे थे, उसकी दृष्टि से भी यह मुनासिब नहीं है कि बहुत गैर-जानकार को शक्ति दे दी जाए या उनको अधिकार दे दिया जाए।

जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, राज्य स्तर पर रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है और राज्य स्तर पर जो रजिस्ट्रेशन होती है, उसी के आधार पर यह भारतीय पशु चिकित्सा परिषद भी रजिस्ट्रेशन करेगी ताकि उनको देश में कहीं भी प्रैक्टिस करने की छूट होगी। यह कोई पाबंधी किसी प्रैक्टीश्नर को नहीं है कि वह देश के किसी हिस्से में...
(व्यवधान)

चौधरी हरि सिंह : हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन होने की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री नितीश कुमार : नहीं, हर स्टेट मे उस तरह की व्यवस्था की गई है। इस एक्ट को गौर से देखें, तो स्पष्ट है कि रजिस्ट्रेशन के संबंध मे जो रेलेवेंट क्लाज बिल में हैं, वह 44 है; चैप्टर 7 जो ओरिजिनल बिल था, जो पास हुआ। इंडियन वेटर्नरी कौंसिल एक्ट, 1984 की क्लाज न० 44 को देखा जाए।

"The State Government shall as soon as may be, cause to be prepared in the matter herein after providing a register of veterinary practitioners to be known as State Veterinary Register for the State. "

चौधरी हरि सिंह : यह नहीं है....
(व्यवधान)

श्री नितीश कुमार : इसके आधार पर जो एक इंडियन वेटर्नरी कौसिल का रजिस्टर है उसमें वह रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उसके आधार पर तो स्वाभाविक रूप से वह पूरे देश मे प्रक्टिस कर सकते हैं। इसमे कोई बार नहीं है। .... **(व्यवधान)**... यह इसी मे प्रोविजन है।

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir); If there Is any p'rovision, kindly show that provision.

श्री नितीश कुमार : यह है इसका चैप्टर 3 और उसमे 24 नम्बर क्लाज देखा जाए:

"The Secretary of the Couticil may on receipt of the report of the registration of the person in the State Ve-terinary Register or on an application made in such form and in such manner as may be provided by regulations by any such person, enter his name in the Indian Veterinary Prac. titioners register. "

[श्री नितीश कुमार]

यह सब प्रोविजन है। उसके पहले ही प्रोविजन है इसलिए यह हो नहीं सकता है। यह संभव ही नहीं । जब ग्रेजुएट है तो पूरे देश के लिए उसको नौकरी करने की छूट है पूरे देश मे यह इटरव्यू दे सकता है, एपीयर हो सकता है। ....(**व्यवधान**) यह अंडरस्टुड है। इसलिए इनहैरेंटली होगा। ...(**व्यवधान**)

चौधरी हरि सिंह : माननीय मंत्री जी, जदोबारा पढ़िए। ....(**व्यवधान**)

श्री नितिश कुमार : मेरी समझ से तो प्रोविजन है। ....(**व्यवधान**)

चौधरी हरि सिंह : हमने तो पढ़ा है. .....(**व्यवधान**)

श्री नितीश कुमार : अगर आपका ऐसा इंटरप्रेटेशन है तो इसको देख लिया जाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूं। लेकिन मेरी समझ से तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अगर आप धारा 24 को पढ़ें तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के संबंध मे पूरा ब्यौरा दिया गया है विस्तारपूर्वक कि स्टेट मे किस प्रकार से होगा। लेकिन स्टेट मे रजिस्टर मे दर्ज हो जाने पर, रजिस्ट्रेशन हो जाने पर उसके आधार पर ही जो इंडियन वेटर्नरी कौंसिल है उसके रजिस्टर मे उनका नाम रहेगा और आल इंडिया लेवल पर उनको प्रैक्टिस करने की आजादी होती है। इंडियन वैटर्नरी प्रैक्टीशनर्ज रजिस्टर मे जब उनका नाम चढ़ेगा तो पूरे भारत मे वे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए जहां तक हमारा सवाल है एक्ट इस मामले में स्पष्ट है। इसलिए इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जो इनकी थर्ड क्लाज जोड़ने की बात है वह समुचित नहीं है और जो बहुत पहले आजादी के दिनों मे जब डिग्री इसमे नहीं थी, डिप्लोमा कोर्स हुआ करता था उस समय जो लोग थे उनको इसमे अधिकार दिया गया था और उसके बाद अब उस तरह की कोई पढ़ाई होती ही नहीं है। अब ग्रेजुएट डिग्री स्तर की पढ़ाई हो गई है और इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जो स्टोकमैन है, कंपाउंडर्ज हैं उनको उस स्तर पर नहीं रखा जा सकता है जिस स्तर पर ग्रेज्युएट डाक्टर्ज हो सकते हैं, वेटर्नरी डाक्टर्ज हो सकते हैं। इसलिए मैं सरकार की तरफ से अपील करना चाहूंगा माननीय विश्वास राव रामराव पाटिल जी से कि इस संशोधन अधिनियम को वापस ले लें और उनके द्वारा जो चिंता प्रकट की गई है बड़े पैमाने पर चिकित्सा की जरूरत है चिकित्सक की जरूरत है, जो एक चिंता प्रकट की गई है वह चिंता वाजिब है और जो माननीय सदस्य पाण्डेय जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की है कि वन्य प्राणियों की रक्षा के संबंध मे और उनकी समुचित चिकित्सा का प्रबन्ध होना चाहिए उसको बिल्कुल ही यह सरकार शेयर करती है और इसका समुचित इंतजाम होना चाहिए। संभव प्रयास इस दिशा में किया जा रहा है, किया जाएगा और किया जाता रहेगा इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि अपने इस संशोधन विधेयक को वापस ले लें। धन्यवाद।

श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : वाइस चेयरमैन सर, इसमें एक बात है कि मंत्री जी ने इसमे जो कंपाउंडर आदि मरहम-पट्टी करने वाले लोग हैं तो कंपाउंडर आदि के लिए बात नहीं कर रहा हूं, कंपाउंडर तो काम करने से भी हो सकता है, लेकिन डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर मे इतना ज्यादा फर्क रहा है यह तो सोचने की बात है और डिप्लोमा होल्डर भी तीन वर्ष के लिए, यह सारा साइंटिफिकली उनको पढ़ाते हैं और वह भी इलाज अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम यह चाहते कि बहुत बड़े आपरेशन के बारे मे हक डिप्लोमा होल्डर को दे दें, लेकिन डिप्लोमा होल्डर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बी.ई. इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसी तरह से जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उन को बिल्कुल नजरंदाज कर दिया गया है। इसलिए सारे स्टेटस को अपने-अपने नए कानून बनाने पड़े हैं और

राजस्थान हाईकोर्ट ने भी जो फैसला दिया है उस को भी सरकार नजरअंदाज कर रही है।

4.00 P.M.

दूसरे मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अभी तो ग्रेजुएटस की इतनी शार्टेज है कि वे होते ही नहीं हैं। इसलिए महाराष्ट्र मे 35 परसेंट जगहें नही भरी हैं। जहां हास्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहां ग्रेजुएटस सरकार नहीं दे सकती क्यों कि ग्रेजुएटस उतने नहीं हैं। मेरा यह ख्याल है कि वेटनरी ग्रेजुएटस जब सारे देश मे तैयार होंगे, तो उस में 10 वर्ष और लगेंगे। आज जितनी जगह खाली पड़ी हैं उन को भरने के लिए, इतने ग्रेजुएटस तैयार करने के लिए अभी 10 वर्ष और लगेंगे। तो फिर वे जगह खाली रखने से क्या फायदा है? इसलिए जो सीनियर डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो 15-15, 30-30 वर्ष से काम कर रहे हैं, उन लोगों को इन जगहों पर लाना चाहिए और जानवरों के इलाज की यह जो समस्या है उस की ओर सरकार विशेष ध्यान दे तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा प्रेस नहीं करूं और अगर आप अपनी कैबिनेट या सरकार में ठोस विचार करें तो मैं जो यह बिल लाया हूं, उस को वापिस ले लेता हूं।

The Bill was by *leave withdrawn.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY); Now, the Cinematograph Bill, 1989. Smt. Bijoya Chakravarty is not here. The Ancient Monuments and Ar-chaelogical Sites and Remains. (Amendment) Bill, 1988. Mr. Das Gupta is not present. The Married Women (Protection of Rights) Bill, 1988. Smt. Veena Verma is also not there. I now request Mr. N. E. Balaram to move his Bill.

AGRICULTURAL WORKERS (MINIMUM WAGES AND WELFARE) BILL, 1986

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I move:

"That the Bill to provide for the payment of minimum' wages and for welfare of agricultural workers, be taken into consideration. " I am very glad that I am able to bring to the notice of this entire august body the problems of agricultural wor_ kers in India. So far as my knowledge goes, there has been no Central legislation for their minimum wages or any strong social measure to improve the conditions of living of this segment of the population of our country. (Interuptions). I do not want to explain their living conditions because most of our friends are coming from rural parts or have got direct contact with this particular segment of the population called agricultural workers. The problems of their poverty, helplessness, ignorance, lack of living space, etc. are all there. If you go to the villages in any part of the country, you can see the appalling conditions of agricultural workers. On that subject books have been written. And if you read newspapers every day, you can see that a number of atrocities are committed on this poor section of the people agricultural workers. A large number of agriculturists are belonging to the Harijan community. A section which forms more than one-fourth of our population has been denied rights so far. I: do not want to go into the reasons. for that. But the fact remains that they were not given protection by any Central legislation.

If my memory is correct, some time back, I think in the year 1988, the Consultative Committee of the Labour Ministry had constituted a special Committee to go round different parts of our country and make a study about the living conditions, including the minimum wages given, of these people and submit a report to the Consultative Committee. There were three people in that Committee. They were able to go round the different States. They visited Kerala too. I was there at that time. I gave them some evidence because I was associated with agricultural labourers on a particular programme, So I also got an opportu-